इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 502] भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 23, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

क्र. 28131.-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) जो विधान सभा में दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २१ सन् २०१५

मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१५

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ९-क क का अंत:स्थापन.

४. धारा १७ का संशोधन.

५. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २१ सन् २०१५

मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (ण) में, शब्द और अंक "धारा ९" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या ९-क क" अंत:स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (भ) में, उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(चार) धारा ९-क क के अधीन अतिरिक्त कर के रूप में संगृहीत की गई रकम;"

धारा ९-क क का अंत:स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ९-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण.

"९-क क. (१) धारा ९ एवं ९-क में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, घोषित माल से भिन्न, अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के विक्रय पर, वजन, मात्रा, मापन या इकाई के आधार पर, ऐसी दर से, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अतिरिक्त कर उद्गृहीत किया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त कर के संबंध में, धारा 14 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.".

धारा १७ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १७ में उपधारा (३) में, शब्द, "ऐसे आवेदन के साथ, आवेदन में दी गई विशिष्टियों के समर्थन में एक शपथ-पत्र होगा और उसके साथ रजिस्ट्रीकरण फीस, जैसी कि विहित की जाए, के विहित रीति में भुगतान का समाधानप्रद सबूत दिया जाएगा." का लोप किया जाए.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

५. (१) मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ६ सन् २०१५) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

राज्य के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अतिरिक्त कर उद्‌गृहीत करने की दृष्टि से, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में धारा ९-क क का अन्त:स्थापन किया जाना प्रस्तावित है.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ६ सन् २०१५) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर, खण्ड ४ में अंतर्विष्ट उपान्तरण के साथ, राज्य विधान-मण्डल का एक अधिनियम लाया जाए ताकि अधिनियम के अधीन शपथ-पत्र की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके. खण्ड २ (दो) में अंतर्विष्ट संशोधन, अतिरिक्त कर पर वेट के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १० दिसम्बर, २०१५

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१५ के खण्ड ३ द्वारा अनुसूची-२ में दिए मालों के विक्रय पर वजन, मात्रा, मापन या इकाई के आधार पर कर की दर का निर्धारण किए जाने एवं तदाशय की अधिसूचना जारी किए जाने के संबंध में राज्य सरकार को विधायनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, जो सामान्य स्वरूप का होगा.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

राज्य के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अतिरिक्त कर उद्‌गृहीत करने की दृष्टि से, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ०६ सन् २०१५) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. उक्त अध्यादेश के स्थान पर यह विधेयक खण्ड ४ में अंतर्विष्ट उपान्तरण के साथ प्रस्तुत किया गया है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 508]   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 24, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2015

क्र. 9211-361-इक्कीस-अ (प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 21 OF 2015

THE MADHYA PRADESH VAT (SECOND AMENDMENT) BILL, 2015

TABLE OF CONTENTS

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Insertion of Section 9-AA.
4. Amendment of Section 17.
5. Repeal and saving.

MADHYA PRADESH BILL

No. 21 OF 2015

THE MADHYA PRADESH VAT (SECOND AMENDMENT) BILL, 2015

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-sixth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Second Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), (hereinafter referred to as the principal Act),—

(i) in clause (o), after the word and figure "Section 9", the word, figure and letters "or 9-AA" shall be inserted;

(ii) in clause (x), after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be added, namely:—

"(iv) The amount collected by way of additional tax under Section 9-AA;".

Insertion of Section 9-AA.

3. After Section 9-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Levy of additional tax.

"9-AA. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 9 and 9-A, there shall be levied additional tax, based on weight, volume, measurement or unit, on the sales of such goods specified in Schedule II, other than declared goods, at such rate as may be notified by the State Government.

(2) The provisions of Section 14 shall mutatis mutandis apply to the additional tax levied under sub-section (1).".

Amendment of Section 17.

4. In Section 17 of the principal Act, in sub-section (3), the words "Such application shall be accompanied by an affidavit in support of the particulars given in the application and also a satisfactory proof of payment of a registration fee, as may be prescribed in the prescribed manner." shall be omitted.

Repeal and saving.

5. (1) The Madhya Pradesh Vat (Second Amendment) Ordinance, 2015 (No. 6 of 2015) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to levy additional tax to mobilize additional resources for development works of the State, insertion of Section 9-AA has been proposed in the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002).

2. As the matter was urgent and the Legislative Assembly was not in session, the Madhya Pradesh Vat (Second Amendment) Ordinance, 2015 (No. 6 of 2015) was promulgated for the purpose. It is now proposed to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature with the modification contained in clause 4 so as to do away with the requirement of affidavit for registration under the Act. Amendment contained in clause 2(ii) is to clarify the position regarding vat on additional tax.

3. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED : The 10th December 2015

JAYANT MALAIYA
Member-in-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.